न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 138 / 2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनिया
RAS

1 उम्मेद सिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 देवी सिंह पुत्र रिसाल सिंह जाति राजपूत निवासी मण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
3 छगन कंवर पत्नी किशन सिंह जाति राजपूत निवासी माण्डासी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 आईडिया कम्पनी मोबाइल टॉवर माण्डासी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

अपील विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ निर्णय दिनांक 20.07.2015 मु.नं.
01/2014 अ. धारा 177 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम उनवानी सरकार बनाम उम्मेद वगैरह

उपस्थित

1. श्री अनिल महरिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

–निर्णय–

दिनांकः–30.11.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 1/2014 में पारित निर्णय दिनांक 20.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में भूमिधारक तहसीलदार नवलगढ़ ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत भूमि वाके ग्राम माण्डासी तहसील नवलगढ़ खसरा नम्बर 64 में काश्त की भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर बिना अनुमति आईडीया कम्पनी का मोबाईल फोन टॉवर बिना भूमि का रूपानन्तरण कराये लगवाने पर विवादित भूमि को राज्य सरकार के हक में दर्ज करने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि काश्तकार अपने स्वंय की खातेदारी भूमि में 1/50 वां हिस्सा में बिना भूमि रूपान्तरण के कोई भी निर्माण कार्य कर सकता है प्रस्तुत प्रकरण में धारा 177 के प्रावधान लागु नही होते है इन प्रावधानों में खातेदारी की भूमि को सिवाय चक घोषित करने का कोई प्रावधान नही है अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ के समक्ष आवेदन किया हुआ है जो लम्बित है अत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय खारिज किया जायें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि अपीलांट द्वारा खातेदारी काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 164 में 400 वर्गमीटर पर आईडीया कम्पनी का टॉवर निर्माण किया जाकर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग, उपभोग बिना रूपान्तरण करवाये किया जा रहा है अप्रार्थीगण को 5 साल का समय भी दिया जा चुका है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि खातेदारी काश्तकारी की होना, उस पर 400 वर्गमीटर पर आईडीया कम्पनी का मोबाईल टॉवर लगाना, भूमि का रूपान्तरण आदिनांक तक नही होना निर्विवाद है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के रूपान्तरण की कार्यवाही की गई है जो प्रकरण तहसीलदार नवलगढ़ के समक्ष लम्बित है विचारण न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है। अपीलांट को विचारण न्यायालय में सुना नही गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विचारण न्यायालय को अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर विधि अनुसार पुन निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2018 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/x/18

(करतार सिंह धूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर